## दिल्ली विधान सभा सचिवलय

समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों सें संबंधित सामान्य जानकारी) वृहस्पतिवार, 13 फरवरी, 2003 / 24 माघ, 1924 (शक)

संख्या: 245

## सदस्य की नज़र बन्दी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को संबोधित सहायक पुलिस आयुक्त, दिल्ली छावनी, नई दिल्ली से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है: -

"मुझे आपको ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्य श्री महेन्द्र सिंह को दिनांक 11/02/2003 को अपराहन 3.10 बजे, पुलिस की विधि-सम्मत् निर्देशों की अवज्ञा करने के कारण दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अंतर्गत वसंत कुँज, नई दिल्ली में नज़र बन्द किया गया।

उन्हें उसी दिन अर्थात् दिनांक 11/02/2003 को अपराहन 4.30 बजे, रिहा कर दिया गया।"

सिद्धार्थ राव सचिव

## DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT BULLETIN PART-II

(General information relating to Legislative & other matters) Thursday, 13 February, 2003/ 24 Magha, 1924(saka)

No. 245

## **DETENTION AND RELEASE OF MEMBER**

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi, was received from ACP, Delhi Cantt., New Delhi:

"I have the honour to inform you that Shri Mahender Singh, Hon'ble Member of Legislative Assembly, Delhi was detained at Vasant Kunj. U/S 65 of Delhi Police Act, 1978 for disobeying the lawful direction of police at 3.10 P.M. on 11/02/2003.

He was released at 4.30 P.M. on the same day i.e. 11/02/2003."

SIDDHARATH RAO SECRETARY